दिल्ली छावनी परिषद
Delhi Cantonment Board
सदर बाजार, दिल्ली छावनी 10 –
Sadar Bazar, Delhi Cantt-10
Tel. No. : 25693837, 25695450
Email :ceodelhicantt@gmail.com
Website : www.cbdelhi.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

हर काम देश के नाम

सार्वजनिका सूचना

सं. दि.छा.परि. / 32 / एसएन–1 / 2021 दिनांकः 11 मार्च, 2021

1. दिल्ली छावनी क्षेत्राधीन निवासियों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक घर को अब से कूड़ेदान का तीन सेट रखने की आवश्यकता है अर्थात् गीला कूड़ा एकत्र करने के लिए हरे रंग का कूड़ेदान, शुष्क कचरा एकत्र करने के लिए नीले रंग का कूड़ेदान तथा घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा एकत्र करने के लिए काले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना होगा। घर के द्वारा घरेलू स्तर पर उत्सर्जित जोखिम पूर्ण कचरे के अन्तर्गत निम्नलिखित को शामिल किया है, परित्यक्त पेंट ड्रम, कीटनाशक केन, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइट, एक्सपायर हो चुकी दवाएं, टूटे हुए मर्करी थर्मामीटर, उपयोग हो चुकी बैट्री, उपयोग हो चुकी सूई एवं सीरींज एवं संक्रमित गेज (gauge) इत्यादि।

यद्यपि, दिल्ली छावनी परिषद द्वारा दैनिक आधार पर पहले से ही घर–घर से गीला एवं शुष्क कचरा उठाने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त यह निश्चिय किया गया है कि उपरोक्त परिभाषित घरेलू जोखिम पूर्ण कचरा को दिल्ली छावनी परिषद से घर–घर जाकर (door to door) उठाने वाले वाहन कचरे को उठाएगें। प्रत्येक दूसरे एवं महीनें के अंतिम शुक्रवार एवं अवकाश अथवा किसी कारणवश, यदि दिल्ली छावनी परिषद का सफाई विभाग बंद होने की स्थिति में, इस सेवा का निर्वहन अगले दिन किया जाएगा। सभी निवासियों से अपेक्षित है कि वे घरेलू जोखिमपूर्ण का संग्रहण एवं निपटान हेतु उपरोक्त सारणी का अनुसरण करें।

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपयोग में लाई गई सेनट्री वेस्ट जैसे डायपर्स, सेनट्री पैड्स इत्यादि निर्माणकर्ता अथवा उत्पादक के ब्रैंड स्वामी द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउच में लपेटा होना चाहिए। इस प्रकार के कचरे को अखबार में लपेटकर उसे शुष्क कचरे के कूड़ेदान (नीले रंग के कूड़ेदान) में डाले।

3. सर्व साधारण से अपेक्षित है कि वे उपरोक्त वर्णित कार्यपद्धति / सारणी के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के कचरा संग्रहण / निपटान का अनुसरण करें एवं उसे दिल्ली छावनी परिषद के घर–घर जाकर कचरा संग्रहण करने वाले वाहन को सुर्पुद करें।

4. **उपरोक्त की अवज्ञा करने पर नियमों के तहत अभियोजन जैसी कार्रवाई प्रारम्भ की जायगी।**

मुख्य अधिशासी अधिकारी
दिल्ली छावनी परिषद
(एस.वी.आर. चन्द्रशेखर)